म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

3273

क्रमांक/ /MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013, भोपाल, दिनांक 23/04/ 2013

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा
जिला – समस्त (म.प्र.)

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 के शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में पर्याप्त संख्या में कार्य रखे जाने एवं तकनीकी संवीक्षा उपरांत स्वीकृतियां जारी कर मनरेगा साफ्टवेयर में प्रविष्टि।**

संदर्भः विभाग का पत्र क्र. 10262/ MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/12, दिनांक 01.11.2012

महात्मा गांधी नरेगा लेबर बजट एवं शेल्फ आफ प्रोजेक्ट वार्षिक कार्य योजना की तैयारी वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु मार्गदर्शी निर्देश एवं मनरेगा साफ्टवेयर प्रविष्टि विभाग के संदर्भित पत्र से जारी किए गए है। जारी निर्देशों के बिन्दु क्र. 7.2 (g) में संभावित लेबर बजट से 150 % मानव दिवस रोजगार सृजन हेतु कार्यो की संख्या दिए जाने का लेख है। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अधिनियम 2005 के दिशा–निर्देश 2013 (चतुर्थ संस्करण) के अध्याय 6 के बिन्दु क. 6.4 (v) में शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में कम से कम दो वर्षो के रोजगार की मांग को कवर करने वाली परियोजना अर्वाधे शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में रखे जाने का उल्लेख किया है। ताकि चिन्हित परियोजनाओं के परिशोधन और सुधार करने हेतु पर्याप्त समय मिल सके।

उपरोक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लेबर बजट में जिले के लेबर बजट में स्वीकृत मानव दिवस से न्यूनतम दोगुने मानव दिवस के बराबर कार्यो को एसओपी में रखा जाना है। सार्वजनिक कार्यो हेतु भूमि उपलब्धता सीमित होने के दृष्टिगत लगभग 30% सामुदायिक हित के एवं 70% हितग्राहीमूलक कार्यो के क्षेत्र की आवश्यकता ग्राम वासियों की मांग एवं ग्राम सभा की अनुशंसा के अनुसार एसओपी रखा जा सकता है। कतिपय जिलों में शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में लिए गए कार्यो का ग्राम वासियों/लक्षित वर्ग के पात्र कृषकों के साथ स्थल सर्वेक्षण कर विधिवत तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर मनरेगा साफ्टवेयर में अब तक प्रविष्टि नहीं की गई है।

उक्त स्थिति के दृष्टिगत शेल्फ आफ प्रोजेक्ट के परिशोधन एवं वित्तीय वर्ष 2013–14

हेतु लिए गए कार्यो की तकनीकी संवीक्षा हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिए जाते है :

1. योजना अंतर्गत अनुमेय सार्वजनिक कार्य, हितग्राही मूलक कार्य व नकारात्मक कार्यो की सूची परिशिष्ट–1, 2 व 3 पर दी गई है। जिसके फ्लेक्स निम्न तालिका में दर्शित साइज में तैयार कराये जावे :

क्र.	कार्य	फ्लेक्स का साइज
1	सार्वजनिक कार्य (परिशिष्ट–1)	3′ X 5′ वर्गफुट
2	हितग्राही मूलक कार्य (परिशिष्ट–2)	4′ X 6′ वर्गफुट
3	नकारात्मक कार्य (परिशिष्ट–3)	2′ X 3′ वर्गफुट

प्रत्येक ग्राम पंचायत को 2–2 फ्लेक्स उपलब्ध कराये जावे, जिनमें से एक ग्राम पंचायत में स्थायी रूप से लगाया जावे एवं दूसरा ग्राम सभा की बैठकों के स्थान पर ग्राम वासियों के समक्ष प्रदर्शित किया जावे। जिला एवं जनपद पंचायत कार्यालयों में एक–एक फ्लेक्स लगाया जावे या दीवार लेखन के माध्यम से ही ग्रामीणजनों को जानकारी दी जावे।

2. योजना के अंतर्गत हितग्राही मूलक कार्यो के पात्र हितग्राहियों को जानकारी देने हेतु प्रत्येक ग्राम में आगामी सप्ताह में सुविधा अनुसार दिन व समय तय कर सभा बुलाई जावे।
3. ग्राम सभा में फ्लेक्स प्रदर्शित कर कार्यो की सूची दिखाई जावे एवं हितग्राहियों की भूमि की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप जिस कार्य का उनके द्वारा पूर्व में चयन किया गया है, उसका आवेदन प्राप्त किया जावे। यह कार्यवाही आधा दिवस में पूर्ण कर शेष दिवस में हितग्राहियों द्वारा प्रस्तावित स्थलों का मौका मुआयना उपयंत्री, रोजगार सहायक व पंचायत सचिव द्वारा किया जा सके।
4. ग्रामीण स्वच्छता एवं ग्रामीण परिवारों की स्थायी आजीविका कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक ग्राम में विभाग के निर्देशों व क्षेत्र की आवश्यकता के दृष्टिगत ग्राम सभा के अनुमोदन से निम्न कार्यो को प्राथमिकता देकर शामिल किया जावे :
    a) पंच परमेश्वर के अभिसरण से आतंरिक सीमेन्ट कांक्रीट सडक निर्माण (सामुदायिक कार्य)
    b) निर्मल भारत अभियान के अभिसरण से घरेलु शौचालयों का निर्माण (हितग्राहीमूलक)
    c) कपिलधारा कूप निर्माण (हितग्राहीमूलक)
    d) हितग्राही के खेत पर उत्पादन बढाने के कार्य (हितग्राहीमूलक)

5. हितग्राही की पात्रता व तकनीकी परीक्षण में स्थल उपयुक्त पाये जाने पर विधिवत प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावें। पूर्व से एसओपी में कार्य शामिल नहीं होने पर ऐसे कार्यो (सामुदायिक/हितग्राहीमूलक) की पृथक से सूची तैयार की जावे। ऐसे कार्यों को ग्राम सभा के अनुमोदन सहित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था से अनुमोदित करा लिया जावे।
6. शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में 2 वर्षो की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कार्यो की सूची बनाई जावे। जिसमें लगभग 30% सामुदायिक व 70% हितग्राही मूलक रखे जाने से जाबकार्डधारियों को उनकी मांग अनुसार कार्य उपलब्ध होते रहेगें।
7. वास्तविक स्थल सर्वेक्षण के अनुसार प्रचलित जिला दर अनुसूची अनुसार उपयंत्री अथवा अन्य विभाग के सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा प्राक्कलन मय तकनीकी प्रतिवेदन सहित तैयार कराया जावे।
8. शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल सभी कार्यो की एक मुश्त तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृतियाँ सक्षम स्तर से जारी कराई जावे।
9. सार्वजनिक व हितग्राही मूलक कार्यो की कियान्वयन एजेन्सियां भी चिन्हित की जावे।
10. ग्राम पंचायत द्वारा कार्यो के संपादन में मजदूरी सामग्री अनुपात 60 : 40 ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यवार न होकर पूरे वित्तीय वर्ष में लिये जाने वाले कार्यो के आधार पर संधारित किया जावे। लाईन विभाग के कार्यो का मजदूरी सामग्री अनुपात जनपद स्तर पर संधारित किया जावे।
11. मजदूरी सामग्री अनुपात 60 : 40 संधारण की दृष्टि से कौन–कौन से कार्य ग्राम पंचायत द्वारा लिये जा सकते है, इसका निर्धारण उपयंत्री द्वारा किया जावेगा।
12. उपयंत्री के सहयोग से प्रत्येक सीजन व श्रमिको की उपलब्धता के दृष्टिगत कार्यो का प्राथमिकता कम ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया जावे।
13. लाईन विभागों व अन्य शासन द्वारा घोषित कियान्वयन एजेन्सियों के कार्यो में से मजदूरी सामग्री अनुभाग 60 : 40 के जनपद स्तर पर संधारण की दृष्टि से शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में से कौन–कौन से कार्य आगामी वित्तीय वर्ष हेतु लिये जा सकते है इसका निर्धारण सहायक यंत्री मनरेगा द्वारा किया जावेगा।
14. आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायत व अन्य एजेन्सियों द्वारा लिये जाने वाले कार्यो को मनरेगा साफ्टवेयर में अपलोड किया जावे।
15. स्वीकृत कार्यो की सूची मय प्राथमिकता कम के ग्राम पंचायत व अन्य महत्वपूर्ण स्थल पर दीवार लेखन के माध्यम से प्रदर्शित की जावे।

16. ग्राम पंचायत में संधारित शेल्फ आफ प्रोजेक्ट रजिस्टर में वित्तीय वर्ष के कार्यो की जानकारी संधारित की जावे।

17. हितग्राही मूलक कार्यो के प्रत्येक हितग्राही को उसकी भूमि पर किए जाने वाले कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की प्रति अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावे।

18. जाबकार्डधारियों की मांग अनुसार शेल्फ आफ प्रोजेक्ट रजिस्टर से ग्राम पंचायत द्वारा कार्य आवंटित कर प्रारंभ किए जावे।

19. एसओपी परिशोधन की कार्यवाही कर जनपद पंचायत स्तर से कार्यक्रम अधिकारी, सहायक यंत्री, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला स्तर से अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,

कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, परियोजना अधिकारी एवं वरिष्ठ डाटा मैनेजर द्वारा लगातार फील्ड विजिट कर 25 अप्रैल 2013 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाना कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा सुनिश्चित किया जावे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र./3274/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013 भोपाल, दिनांक03/04/2013

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. निज सहायक, मान. राज्य मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
6. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
7. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
8. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
9. मुख्य अभियंता, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
10. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल मध्यप्रदेश ।
11. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश ।

12. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अनुमत सामुदायिक कार्य

क्र.	कार्य की श्रेणी	गतिविधि का नाम	कार्य की सामान्य जानकारी	योजना का आकार
1	जल सरंक्षण एवं जल एकत्रीकरण	कन्टीन्युअस कंटूर ट्रेंचेज/फरोज, स्टैगर्ड ट्रेंच, बाक्स ट्रेंच	शैलपर्ण योजना के निर्देश जारी है।	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार
		सनकेन तालाब		
		गोबिन स्ट्रक्चर्स		
		जलाशय, तालाब, रिसाव टेंक आदि		
		भूमिगत बांध		
		बांध		
		स्प्रिंग शेड विकास क) स्टैगर्ड ट्रेंचेज ख) पौधरोपण	स्प्रिंग शेड पहाडी के ढ़लान का एक ऐसा क्षेत्र है जो भूमिगत रिसाव के माध्यम से झरने को जल की आपूर्ति करता है। स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट वाटर शेड विकास से संबंधित है। जैसे खाई बनाना, पौधारोपण, चारा, घास अथवा बाडा लगाना और नाली मुहबंदी इत्यादि। स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट की इकाई लागत स्थान, ढलान तथा कार्य की पहल एवं संख्या पर निर्भर करती है। मजदूरी और सामग्री अनुपात 90 : 10 से लेकर 60 : 40 तक अलग–अलग हो सकता है। स्प्रिंग शेड विकास कार्यक्रम का दौरा www-sikkimspirings-org पर देखा जा सकता है। प्रदेश में यह कार्य नर्मदा एवं चंबल बेसिन के पहाडी क्षेत्र में आने वाले जिलों के कृषकों की जमीन की सिंचाई हेतु पानी के स्त्रोत के रूप में उपयोगी हो सकता है।	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार
		चौक बांध, एनीकट, रोक बांध		
		सैंड फिल्टर के जरिए कुओं को कृत्रिम रूप से रिचार्ज करना	कपिलधारा कूपों के निर्माण के समय की कुओं को कृत्रिम रूप से रिचार्ज करने हेतु रिचार्ज पिट अनिवार्य रूप से बनाए जाने हेतु निर्देश है।	कपिलधारा उपयोजना के निर्देशों मे दिए गए विवरण अनुसार

क्र.	कार्य की श्रेणी	गतिविधि का नाम	कार्य की सामान्य जानकारी	योजना का आकार
2	वनरोपण और वृक्षारोपण सहित सूखारोधन	नर्सरी में बढ़ोतरी	निर्देश जारी किए जा रहे है।	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार किए जा सकते है।
		वन का ईको–रेस्टोरेशन	निर्देश जारी किए जा रहे है।	
		वनरोपण : वनरोपण के अंतर्गत घटिया वन और बंजर भूमि को कवर करना।	निर्देश जारी किए जा रहे है।	
		चरागाह विकास तथा वन चरागाह	निर्देश जारी किए जा रहे है।	
		सडक/नहर किनारे पौधरोपण	निर्देश जारी है।	
		ब्लाक पौधरोपण	निर्देश जारी है।	
3	माइक्रो एवं लघु सिंचाई सहित सिंचाई नहरें	नहरों का निर्माण, रजबहा तथा लघु नहरें	निर्देश जारी किए जा रहे है।	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार किए जा सकते है।
		नहरों की लाइनिंग	निर्देश जारी किए जा रहे है।	
		अल्पसंख्यकों, उप–अल्पसंख्यकों का पुर्नवास	निर्देश जारी किए जा रहे है।	
		सिंचाई के लिए सामुदायिक कुंए	निर्देश जारी किए जा रहे है।	
		लिफ्ट सिंचाई	निर्देश जारी किए जा रहे है।	

क्र.	कार्य की श्रेणी	गतिविधि का नाम	कार्य की सामान्य जानकारी	योजना का आकार
4	भूमि विकास	जलाशयों, तालाबों तथा तलैयों और अन्य पारम्परिक जल निकायों से गाद निकालना	निर्देश जारी किए जा रहे है।	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार किए जा सकते है।
		जलाशयों, तालाबों, तलैयों चौक बांध, एस्केप, वीयर्स और नियंत्रण ढांचा की मरम्मत, नवीनीकरण तथा जीर्णोद्वार	निर्देश जारी किए जा रहे है।	
5	भूमि विकास	वृक्षारोपण/वन चरागाह जैसे उत्पादन उपायों के लिए लवण प्रभावित भूमि का सुधार	निर्देश जारी किए जा रहे है।	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार किए जा सकते है।
		बंजर भूमि का विकास		
		विपथन मार्ग		
		विपथन वीयर		
		पेरीफेरल/कास बांध		
		जल भराव क्षेत्र में निकास मार्ग		
		बाढ़ चैनल (मार्गो) की मरम्मत तथा गहरा करना		
		चैर नवीकरण		
		मध्यम एवं सम्पर्क नालों का निर्माण		
		ठोकरों (स्पर्स) और प्रचंड प्रवाह नियंत्रण उपाय तटबंधों को सुदृढ़ करना पीएल		–

क्र.	कार्य की श्रेणी	गतिविधि का नाम	कार्य की सामान्य जानकारी	योजना का आकार
6	ग्रामीण सड़क सम्पर्कता	मिट्टी मुर्रम रोड	विभाग के निर्देशों के अनुरूप	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार
		गिट्टी पथरी (ग्रेवल रोड)	विभाग के निर्देशों के अनुरूप	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार
		डब्ल्यूबीएम रोड	–	
		सी.सी. रोड	आंतरिक सीमेन्ट कांक्रीट व पंच परमेश्वर के निर्देश जारी है।	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार
		इंटरलॉकिंग सीमेंट ब्लॉक रोड	–	–
		ईट खंडजा	–	–
		पत्थर का खंडजा	–	–
		क्रास ड्रेनेज	निर्देश जारी किए जा रहे है।	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार किए जा सकते है।
7	बीएनआरजीएसके	नव निर्माण	मनरेगा से पंचायत भवन के निर्देश के अनुरूप	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार
		पंचायत भवन का विस्तार	निर्देश जारी किए जा रहे है।	–
8	मत्स्यपालन संबंधी कार्य	सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मत्स्यपालन क) तालाब बनाना ख) मछली सुखाने का प्लेटफार्म	मत्स्य पालन विभाग के समन्वय से निर्देश तैयार किए जा रहे है।	–
9	ग्रामीण पेयजल संबंधी कार्य	सोख्ता गड्ढे	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समन्वय से निर्देश तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।	–
		रिचार्ज पिट्स (पाइंट रिचार्ज के लिए)	–	–
		कुओं की खुदाई	निर्मल नीर उपयोजना के निर्देशों के अनुरूप	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार

क्र.	कार्य की श्रेणी	गतिविधि का नाम	कार्य की सामान्य जानकारी	योजना का आकार
10	ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य	विद्यालय शौचालयों इकाइंया आगंनबाडी शौचालय ठोस एवं तरल अपशिष्ट सामग्री प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) क) कम्पोस्ट पिट ख) ड्रेनेज चैनल ग) सोकेज (सोख्ते) चैनल /पिट घ) स्थायी तालाब	निर्देश जारी किए जा रहे है।	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार किए जा सकते है।

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत निजी स्वामित्व की भूमि पर कराये जाने वाले कार्य एवं पात्र हितग्राही

पात्र हितग्राही : 1. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति 2. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार 3. भूमि सुधार के लाभार्थी 4. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी 5. कृषि ऋण छूट ऋण राहत योजना लघु और सीमान्त कृषकों 6. अनु. जाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी

क्र.	कार्य की श्रेणी	कार्य का नाम	कार्य की सामान्य जानकारी	योजना का आकार
1	जल सरंक्षण एवं जल एकत्रीकरण	स्प्रिंग शेड विकास क) स्टैगर्ड ट्रेंचेज ख) पौधरोपण	स्प्रिंग शेड पहाडी के ढ़लान का एक ऐसा क्षेत्र है जो भूमिगत रिसाव के माध्यम से झरने को जल की आपूर्ति करता है। स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट वाटर शेड विकास से संबंधित है। जैसे खाई बनाना, पौधारोपण, चारा, घास अथवा बाडा लगाना और नाली मुहबंदी इत्यादि। स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट की इकाई लागत स्थान, ढलान तथा कार्य की पहल एवं संख्या पर निर्भर करती है। मजदूरी और सामग्री अनुपात 90 : 10 से लेकर 60 : 40 तक अलग–अलग हो सकता है। स्प्रिंग शेड विकास कार्यक्रम का दौरा www-sikkimspirings-org पर देखा जा सकता है। प्रदेश में यह कार्य नर्मदा एवं चंबल बेसिन के पहाडी क्षेत्र में आने वाले जिलों के कृषकों की जमीन की सिंचाई हेतु पानी के स्त्रोत के रूप में उपयोगी हो सकता है।	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार
		सैंड फिल्टर के जरिए कुओं को कृत्रिम रूप से रिचार्ज करना	कपिलधारा कूपों के निर्माण के समय की कुओं को कृत्रिम रूप से रिचार्ज करने हेतु रिचार्ज पिट अनिवार्य रूप से बनाए जाने हेतु निर्देश है।	कपिलधारा उपयोजना के निर्देशों मे दिए गए विवरण अनुसार
2	वनरोपण और वृक्षारोपण सहित सूखारोधन	नर्सरी में बढ़ोतरी		वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार

क्र.	कार्य की श्रेणी	कार्य का नाम	कार्य की सामान्य जानकारी	योजना का आकार
3	सिंचाई सुविधा, बागवानी, पौध रोपण तथा वैयक्तिक भूमि (आईएल) पर भूमि विकास सिंचाई सुविधा का प्रावधान	जल मार्गो (वाटर कोर्सेज)/फील्ड चैनल का निर्माण	सहस्त्रधारा उपयोजना के अंतर्गत वाटर कोर्स / फील्ड चैनल के निर्देश है।	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार एक कोलावा से लगभग 40 हेक्टे. भूमि की सिंचाई हेतु
		जल मार्गो/फील्ड चैनल की लाईनिंग		
		कुएं की खुदाई	कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत कूप निर्माण या खेत तालाब या लघु सिंचाई तालाब या स्टाप डेम निर्माण के निर्देश है।	कूप का आंतरिक व्यास अधिकतम 5 मी, गहराई 12 मी एवं रेतीली भूमि में 3 मी तक आंतरिक व्यास होने पर गहराई 15 मी तक रखे जाने के विभाग के निर्देश है।
		खेत में तालाब/डिग्गी/टेंक बनाना		कपिलधारा उपयोजना के निर्देशों मे दिए गए विवरण अनुसार
4	बागवानी पौधरोपण	बागवानी पौधरोपण	नंदन फलोद्यान उपयोजना के निर्देश है।	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार

क्र.	कार्य की श्रेणी	कार्य का नाम	कार्य की सामान्य जानकारी	योजना का आकार
5	पौधरोपण	बाउन्ड्री पौधरोपण	वन्या उपयोजना के निर्देश	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार
		ब्लाक पौधरोपण		
		ढांचा (भूमि विकास और शहतूत पौधरोपण)		
6	भूमि विकास	कंटूर/ग्रेडेड बांध/खेत बांध का निर्माण	भूमि शिल्प उपयोजना के तहत खेत बांध के निर्देश है।	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार
		भूमि समतलीकरण और शेपिंग		
		लवणीय/क्षारीय भूमि सुधार		
		निकास (ड्रेनेज) मार्गो का निर्माण	निर्देश जारी किए जा रहे है।	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार किए जा सकते है।
		निकटतम तालाब से गाद की ढुलाई करके बंजर भूमि पर मृदा को कवर करना।	निर्देश जारी किए जा रहे है।	
		बंजर भूमि/फेलो भूमि का विकास	वनवासी संवर्धन उपयोजना के तहत वन भूमि पर हक प्रमाण–पत्र धारको हेतु निर्देश है।	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार
7	भूमि विकास	वृक्षारोपण/वन चरागाह जैसे उत्पादन उपायों के लिए लवण प्रभावित भूमि का सुधार	निर्देश जारी किए जा रहे है।	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार किए जा सकते है।
		बंजर भूमि का विकास		
		विपथन मार्ग		
		पेरीफेरल/कास बांध		
		जल भराव क्षेत्र में निकास मार्ग		
		बाढ़ चैनल (मार्गो) की मरम्मत तथा गहरा करना		

क्र.	कार्य की श्रेणी	कार्य का नाम	कार्य की सामान्य जानकारी	योजना का आकार
8	कृषि से संबंधित कार्य	नाडेप कम्पोस्टिंग	निर्देश जारी किए जा रहे है।	प्रस्तावित आकार 3.6 x 1.5 x 0.9 मी
		वर्मी कम्पोस्टिंग		प्रस्तावित आकार 3.6 x 1 x 0.76 मी
		तरल जैव खाद–संजीवक और अमृत पानी		प्रस्तावित आकार 1 x 1 x 1 मी
9	पशुपालन संबंधी कार्य	मुर्गी आश्रय	निर्देश जारी किए जा रहे है।	प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल 3.75 x 2 मी = 7.5 वर्ग मी, 2.2 मी औसत ऊँचाई
		बकरी आश्रय		प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल 3.75 x 2 मी = 7.5 वर्ग मी, 2.2 मी औसत ऊँचाई
		मवेशी शेड		प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल 7.5 x 3.5 मी = 26.95 वर्ग मी, 2.2 मी औसत ऊँचाई
		मवेशी आहार पूरक के रूप में अजोला		2 x 2 X 0.2 मी = 26.95 वर्ग मी,
10	ग्रामीण पेयजल संबंधी कार्य	सोख्ता गड्ढे		
		रिचार्ज पिट्स (पाइंट रिचार्ज के लिए)		
11	ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य	वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल)(टीएससीके अनुसार विशिष्टि)	मर्यादा उपयोजना के तहत घरेलु शौचालय के निर्माण के निर्देश जारी।	विभाग द्वारा जारी निर्देशों एवं ड्रांइग के अनुसार घरेलु शौचालयों का निर्माण
		आंगनवाडी निर्माण	निर्देश जारी किए जा रहे है।	वास्तविक सर्वेक्षण एवं स्थल की आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार किए जा सकते है।

महात्मा गांधी नरेगा द्वारा नहीं किये जाने वाले कार्य– गैर अनुमत कार्य

1. पत्थर कंकड़ या झाडी हटाने, गाद लगाने या इसी तरह की कोई पृथक गतिविधि
2. जमीन की तैयारी, जुताई–बुवाई, खरपतवार हटाने, मिट्टी की जुताई , फसल कटाई और फसलों की छटाई जैसे सामान्य कृषि कार्य
3. अनाज की पैदावार, सब्जियों की पैदावार, फूलों की खेती आदि कृषि कार्य एवं इन कार्यों में लगने वाली सामग्री– बीज, उर्वरक, कीटनाशक
4. महात्मा गांधी नरेगा की राशि का उपयोग कर भूमि अधिग्रहण
5. बोर वेल और ट्यबवेल
6. केन्द्रीय सरकार भू–जल बोर्ड द्वारा आंकलित सैमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल या अतिदोहित रूप में वर्गीकृत ब्लॉक/निजी क्षेत्र में निजी कूप– इन क्षेत्रों में केवल समूह कूपों की अनुमति प्रदान की जायेगीं।
   - 6.1 जहॉ कम–से–कम 3 कृषकों का समूह कूप से पानी की सहभागिता हेतु सहमत होवे।
   - 6.2 ऐसे कृषक समूह के बीच औपचारिक अनुबंध स्टाम्प पेपर पर किया जाकर ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करना होगा।
   - 6.3 एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इस समूह का सदस्य हो सकता है परन्तु वह एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं हो सकता/हो सकते है।
   - 6.4 समूह कूप का पंजीकरण राज्य सरकार ग्रुप सिंचाई के रूप में किया जाना चाहिए।